P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-2* ISSUE-8* November- 2017
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

भारतीय अर्थव्यवस्था पर जी.एस.टी. का प्रभाव

एच.एन. गुप्ता
व्याख्याता
ए.बी.एस.टी. विभाग,
एस.पी.एन.के.एस.राज.पी.जी. महाविद्यालय,
दौसा, राजस्थान

सारांश

जी.एस.टी. भारत के कर ढ़ाचे में सुधार का एक बहुत बडा कदम है। यह एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर कानून है जो वस्तुओं वे सेवाओं दोनो पर लागू होता है। जी एस टी में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, सेवा कर, वैट, मनोरंजन कर, विलासिता कर, लॉटरी टैक्स आदि कर समाहित कर एकीकृत कानून बनाया गया है जिसे 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। विश्व के 160 देशों में जी एस टी लागू किया जा चुका है जिसमें विकसित तथा विकासशील सभी देश शामिल है।

मुख्य शब्द : भारतीय अर्थव्यवस्था, जी.एस.टी.

प्रस्तावना

वर्ष 2006 तक भारत में बिक्री कर था। इसके बाद वैट लाया गया जो एक बहुस्तरीय कर प्रणाली थी। वैट की सफलता के बाद 1 जुलाई 2017 से जी.एस.टी. लागू किया जिसमें हर बिन्दू पर कर लगता है लेकिन पूर्व कर भुगतान की छूट मिलती है। यदि माल एक राज्य में उत्पादित होकर उसी राज्य में उपभोक्ता तक पहुँच रहा है तो प्रत्येक स्तर पर CGST, SGST लगेगा तथा पिछले स्तर पर चुकाये गये कर की Input Tax Credit मिलेगी। यदि माल एक राज्य में उत्पादित होकर दूसरे राज्य मे जा रहा है तो IGST लगेगा जो CGST व SGST के योग के बराबर होगा। यदि माल विदेशी राज्य से आता है तो IGST देना होगा। केन्द्र शासित प्रदेशों में UTGST व CGST लगेगा। जी एस टी के नियमन एवं नियंत्रण के लिए जी एस टी कॉउंसिल का गठन किया गया है जो एक संवैधानिक निकाय है जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय वित्त मंत्री होगे तथा उपाध्यक्ष केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री होंगे। जी.एस.टी. कॉउंसिल में 29 राज्यों व 2 केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री सदस्य होंगे। जी.एस.टी. में 0,5,12,18 व 28 प्रतिशत की दरें रखी गई है तथा आवश्यक वस्तुओं को कर मुक्त वर्ग में रखा गया है। जी.एस.टी. की सम्पूर्ण प्रक्रिया मानव रहित इलैक्ट्रिक मोड़ पर होगीं GST का रजिस्ट्रेशन GST Online Portal पर जाकर किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के बाद 15 डिजिट का जी.एस.टी. नम्बर मिलेगा जिसमें 10 डिजिट पैन नम्बर के होंगे।

अध्ययन का उद्देश्य

माल एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू होने वाला एकीकृत अप्रत्यक्ष कर है। इस अध्ययन का उद्देश्य जी.एस.टी. लागू होने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करना है। इस अध्ययन में आगामी वर्षों में मुद्रा स्फिति, राजकोषीय ढ़ाँचा, विकास दर, सरकारों के पास कर आगम स्थिति का आकलन करना है।

परिकल्पना

यह अध्ययन इस परिकल्पना पर आधारित है कि–

1. जी.एस.टी. लागू होने से भारतीय अर्थव्यवस्था को कोई लाभ नही होगा।
2. जी.एस.टी. लागू होने से मुद्रा स्फिति नियन्त्रित नहीं होगी, राजकोषीय घाटा कम नही होगा।

शोध रूपरेखा

इस अध्ययन में विभिन्न संस्थाओं की रिपोर्ट, वेबसाइट पर जारी समंकों के माध्यम से एकत्रित द्वितियक आंकडों तथा प्रतिवेदनों के माध्यम से प्राप्त समंकों का विश्लेषण किया गया है। आंकडो का विश्लेषण करने के लिए प्रवृति विश्लेषण, समंको का तुलनात्मक अध्ययन तथा विभिन्न आंकडों के समान्तर माध्य के माध्यम से निष्कर्ष निकाले गये है।

साहित्यावलोकन

संदीप ओझा द्वारा लिए पुस्तक Socio Economic Indicators सामाजिक आर्थिक प्रतिभानों से सम्बंधित है जो राजस्थान के पाली जिले में औद्योगिक श्रमिकों के सामाजिक आर्थिक प्रतिमानों से सम्बंधित है। इस पुस्तक

का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक दशा का विश्लेषण करना है।

यूनाइटेड नेशन्स द्वारा प्रकाशित पुस्तक Indicators of Sustainable Development में विश्व अर्थव्यवस्था के आर्थिक मानदण्डों को स्पष्ट करती है। यह पुस्तक गरीबी, स्वास्थय शिक्षा, पर्यावरण, प्राकृतिक दशाये आदि के आर्थिक मानदण्डों पर प्रकाश डालती है।

नित्या टैक्स एशोसिएटस द्वारा लिखित पुस्तक Basics of GST में जीएसटी एक्ट के विभिन्न प्रावधानों को विस्तार से स्पष्ट किया है। इस पुस्तक में जी एस टी रिटर्न भरने एवं उससे आने वाली समस्याओं का भी समाधान एवं व्याख्या की गई है।

Bharat's GST Ready Reckoner with Referencer जीएसटी से सम्बन्धित विस्तृत पुस्तक है जो सी.ए. केशव आर. गर्ग द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में लेखांकन सम्बन्धित समस्याओं का समाधान, महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रश्न उत्तर, जी एस टी कानून से सम्बन्धित चार्ट व टेबिल, सी जी एस टी एक्ट, आई जी एस टी एक्ट तथा यू टी जी एस टी एक्ट की व्याख्या की गई है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले 3 दशकों से हो रही प्रगति उल्लेखनीय है। भरतीय अर्थव्यवस्था में हो रही प्रगति के साथ–साथ गरीबी में कमी, मुद्रास्फिति में कमी, क्षेत्रिय असमानता में कमी, सामाजिक आर्थिक अस्थिरता में कमी, भुगतान शेष की समस्या में सुधार उल्लेखनीय है। आबादी का दबाव होने के बावजूद बेरोजगारी की समस्या, गरीब अमीर की खाई में अन्तर, भाषा व जातिवाद की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या आदि के बावजूद आर्थिक क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था में कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। जी.एस.टी. लागू होने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार होने की सम्भावनाएं है। जिसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैः–

मुद्रा स्फिति में कमी

बिक्री कर तथा वैट प्रणाली में करों पर कर की व्यवस्था थी। जी.एस.टी. आने के बाद दोहरे करारोपण की व्यवस्था समाप्त होने से मुद्रा स्फिति में सुधार होगा।

Inflation Rate In Different Countries

Year	India	Usa	Japan	China	France	Germani
2008	8.32	3.85	1.37	5.97	2.82	2.63
2009	10.83	-0.34	-1.34	-0.72	0.09	0.32
2010	12.11	1.64	-0.72	3.17	1.53	1.1
2011	8.87	3.16	-0.28	5.53	2.12	2.07
2012	9.3	2.07	-0.03	2.71	1.96	2.01
2013	10.92	1.47	0.35	2.62	0.86	1.5
2014	6.37	1.62	2.76	1.92	0.51	0.91
2015	5.88	0.12	0.8	1.44	0.04	0.23
2016	4.97	1.26	-0.12	2	0.18	0.48
2017	2.07	2.13	0.42	1.55	1	1.74
Total	79.64	16.98	3.21	26.19	11.11	12.99
Average	7.964	1.698	0.321	2.619	1.111	1.299

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने में मुद्रा स्फिति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि हम संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन व जापान की मुद्रा स्फिति का अध्ययन करे तो स्पष्ट है कि विगत 5 वर्ष में इन देशों का मुद्रा स्फिति 2.5 प्रतिशत के आसपास रही है। औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देश जापान की मुद्रा स्फिति अधिकांश वर्षों में ऋणात्मक रही है। भारत में विगत दश वर्षों में औसत मुद्रा स्फिति 7.964 रही है जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन, फ्रांस तथा जर्मनी की औसत मुद्रा स्फिति दर क्रमशः 1.698, 0.321, 2.619, 1.111 तथा 1.299 रही है। जी.एस.टी. लागू होने के बाद यह सम्भावना व्यक्त की गई है कि वर्ष 2017 में मुद्रा स्फिति की दर 2 प्रतिशत के आसपास रहेगी तथा वर्ष 2020 में यह दर 1 प्रतिशत से कम हो जायेगी। यदि भारत में मुद्रा स्फिति की दर 1 प्रतिशत से कम रहती है तो वह भारत को विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होने में सहायक होगा।

कर आगम में वृद्धि

जी.एस.टी. लागू होने के बाद केन्द्र तथा राज्य दोनों ही स्तरों पर कर आगम में वृद्धि की सम्भावना है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल आगम 17.1 ट्रिलियन रूपये था जो 2017–18 में बढ़कर 19.11 ट्रिलियन रूपये होने की सम्भावना है। इस प्रकार कर आगम में 11.75 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। जी.एस.टी. लागू होने के बाद 15 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि होने का अनुमान है। अगस्त माह के प्राप्त आँकड़ों के अनुसार केन्द्रीय जी.एस.टी. से 14894 करोड़ रूपये, एस.जी.एस.टी. से 22722 करोड रूपये तथा आई जी एस टी से 47469 करोड़ रूपये की आगम प्राप्त हुई। आय वृद्धि का प्रमुख कारण कर दाता वर्ग में वृद्धि भ्रष्टाचार में कमी तथा करचोरी में कमी है। सरकार की आय में वृद्धि होने से विकास कार्यों के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध हो सकेगी।

नियंत्रित राजकोषीय घाटा

राजकोषीय नीति व मौद्रिक नीति किसी भी अर्थव्यवस्था को नियन्त्रित करने के महत्वपूर्ण उपकरण है। किसी भी वित्तिय वर्ष में देश की सरकार द्वारा किये जाने वाले कुल व्यय की राशि यदि कुल आय से अधिक हो तो वह राजकोषीय घाटा कहलायेगा। इस घाटे की पूर्ती केन्द्रीय बैंक द्वारा मुद्रा जारी कर की जाती है विभिन्न देशों में बजट घाटे की स्थिति निम्नानुसार है।

Analysis of Fiscal Deficit

Countries	Debt To GDP	Budget Deficit To GDP
India	69.5	3.2
Usa	106.1	-3.5
Japan	250.4	-4.5
China	46.2	-3.8
France	96	-3.4
Germani	68.3	0.8

Analysis of Yearwise Fiscal Deficit

Year	Debt To GDP	Budget Deficit To GDP
2006	74	-3.5
2010	69.6	-6.9
2014	68.6	-4.5
2016	69.5	-3.5

उपरोक्तानुसार स्पष्ट होता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन व फ्रांस में बजट घाटा नहीं है बल्कि बजट अतिरेक है। अन्तर्राष्ट्रीय मानको के अनुसार यदि किसी भी देश का बजट घाटा जीडीपी के 2 प्रतिशत तक है तो वह उस देश के विकास में सहायक होगा। यदि बजट घाटा ज्यादा है तो वह देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

वर्तमान में भारत में बजट घाटा जीडीपी का 3.2 प्रतिशत है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित मापदण्ड से ज्यादा बजट घाटा मंहगाई वृद्धि तथा भ्रष्टाचार को इंगित करता है। जी एस टी आने के बाद यह अनुमान है कि सरकारों को कर से राजस्व प्राप्ति में वृद्धि होगी। वित्तीय वर्ष 2019–20 में राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत तक तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 तक 2.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो एक विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

विकास दर में वृद्धि

Analysis of Gdp Growth Rate

Countries	2016-17	2015-16	Highest	Lowest
India	5.7	6.1	11.4	-5.2
Usa	2.3	2.2	13.4	-4.1
Japan	0.3	0.6	3.2	-4.8
China	6.8	6.9	15.4	3.8
France	2.2	1.8	12.5	-3.8
Germani	2.8	2.3	7.2	-6.8

विकास दर किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का द्योतक है। विकसित देशों की विकास दर तुलनात्मक रूप से भारत की तुलना में कम है लेकिन इन विकसित देशों की जी डी पी का आकार भारत की तुलना में बहुत अधिक होने के कारण इससे ज्यादा विकास दर प्राप्त करना मुश्किल है। जी एस टी लागू होने के बाद सरकारों के पास राजस्व प्राप्त में वृद्धि होगी इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 तक भारत की विकास दर 8 प्रतिशत से अधिक होगी।

निष्कर्ष

मुद्रा स्फिति पर नियन्त्रण, विकास दर में निरन्तर वृद्धि, नियन्त्रिक राजकोषीय घाटा, अनुकूल भुगतान सन्तुलन,विदेशी मुद्रा भंडारों में वृद्धि, किसी भी अर्थव्यवस्था की सफलता के प्रमुख आधार स्तम्भ है। जी.एस.टी. लागू होने के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मुद्रा स्फिति नियंत्रित होगी। सरकारों के पास कर आगम में वृद्धि के कारण विकास निरन्तर होगा, राजकोषीय घाटा नियन्त्रित हो सकेगा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं से प्रतिस्पर्द्धा करने में सक्षम होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *http://hindi.economictimes.indiatimes.com/business/business-news/know-all-about-indias-biggest-tax-reform-gst/articleshow/57909199.cms*
2. *http://hindi.moneycontrol.com/news/market-news/gst-beginning-of-new-tax-regime_162197.html*
3. *https://www.hindi.nyoooz.com/news/kanpur/tax-reduction-rate-of-66-products-in-gst-the-decision-taken-by-the-council_61223/*
4. नवभारत टाइम्स. ''जीएसटी लागू होने के बाद भी ई–कॉमर्स साइट्स पर मिल रहा 80% तक डिस्काउंट'' अभिगमन तिथि 7 जुलाई 2017.
5. एनडीटीवी. ''जीएसटी लागू बचे माल पर नई कीमत नहीं छापी तो जेल की हवा खानी पड़ सकती है रिपोर्ट अभिगमन तिथि 7 जुलाई 2017
6. *http://www.cbec.gov.in/resources//htdocs-cbec/gst/gst-overview-hindi.pdf*
7. *http://economictimes.indiatimes.com*
8. *http://tradingeconomics.com*